राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 383/2025 प्रा0पत्र

अनवान

टीलसिंह रावत पिता श्री भैरूसिंह रावत, जाति रावत आयु 71 वर्ष, निवासी सिरोला पायरी तहसील भीम जिला राजसमन्द, राजस्थान।

—:: बनाम ::—

01. हजारीसिंह पिता श्री डाउ सिंह, जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी पायरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द, राजस्थान।
02. गेनसिंह पिता श्री टीलसिंह, जाति रावत, उम्र वयस्क, निवासी पायरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द, राजस्थान।
03. श्रीमान् तहसीलदार साहब भीम जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार।

उपस्थितः—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिंह चौहान
02. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे मुझ प्रार्थी का निवेदन निम्न प्रकार है कि —

01. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की शामलाती आराजियात् वाके ग्राम पायरी, पटवार हल्का काछबली, भू. अभि. नि. क्षेत्र काछबली तहसील भीम, जिला राजसमन्द, राजस्थान की सरद में स्थित होकर निम्न आराजियात है —

—:: प्ररिशिष्ठ (क) ::—

खाता संख्या नया	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
437	4233	0.0405	चाही 2 जाव 2
	6213	0.0526	चाही 2 जाव 2
	6887	0.3076	चाही 3 जाव 3
	6888	0.2590	चाही 3 जाव 3

उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

Scanned with OKEN Scanner

6890	0.4047	बझड
6891	0.1295	बारानी 2
6894	0.2226	बंझड
6895	0.3480	बारानी 1
6896	0.2995	बारानी
6897	0.2671	बारानी 1
6898	0.2226	बारानी 1
6900	0.5018	बारानी 1
6899	0.1862	बारानी 1
6901	0.3399	बारानी 1
6902	0.3966	बारानी 1
6903	0.4371	बारानी 1
6904	0.4209	बारानी 1
6905	0.0890	बंझड
6906	0.5099	बारानी 1
6907	0.2752	बारानी 1
6908	0.2833	बारानी 1
6909	0.2914	बारानी 1
6911	0.1376	बारानी 2
6913	0.1619	बारानी 2
7109/6887	0.0486	बारानी 1
कुल किता – 25 खसरा, कुल रकबा 3.9984 हैक्टेयर		

उक्त आराजियात् राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबन्दी संवत 2077 में खाता संख्या 437 में प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 वां हिस्सा विद्यमान होकर राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की शामलाती होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपने – अपने हक व हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है। यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का पूर्व में पारिवारिक बंटवारा होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 (कास्तकार–खातेदार) अपने–अपने हिस्से पर माफिक पारिवारिक बंटवारा काबिज होकर कास्त करते–कराते आ रहे है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य हैं किन्तु अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 श्री हजारीसिंह पिता श्री डाउसिंह, जाति रावत से दिनांक 26.03.2025 को खाता संख्या 437 मे से जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की जमीन को खरीद ली हैं जिसके नामान्तरकण प्रक्रियाधीन है। दिनांक 08.09.2025 को अप्रार्थी संख्या 02 मौके पर आया तथा कहा कि मैंने उक्त भूमि को श्री हजारीसिंह पिता श्री डाउसिंह, जाति रावत से खरीद ली हैं, अब मैं कब्जा करूंगा तो मैने कहा कि पहले बटॅवारा करा लो, अपने अपने हिस्से करा लो तो, नही माना तथा दिनांक 08.09.2025 को **JCB** लेकर आया व अच्छी से अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगा, मना किया तो मरने मारने पर आमदा हो गया जिसे गॉव के मौतबिर लोगो ने बडी मुश्किल से रोका गया तथा काम रूकवाया गया। यह कि अप्रार्थी संख्या 02, **stranger purchager** हैं एवं वह बिना बटॅवारा कराये भूमि मे प्रवेश नही कर सकते, यदि

Scanned with OKEN Scanner

उन्होने अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी का भारी हानि होगी जो अर्थ मे सम्भव नही हैं। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्ध किया जाना आवश्यक हैं। इसलिये जब तक मौके पर मिदस एण्ड बाउण्ड से बॅटवारा न करवा ले तब त कवह उक्त भूमि मे प्रवेश करने के अधिकारी नही है तथा अप्रार्थी संख्या 02 **JCB** से कब्जा करने की धमकी दी हैं जो काफी रूपये पैसो व पहुँच वाला है जो कि कभी भी भूमि पर नाजायज कब्जा कर सकता हैं। यह कि मौके पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बॅटवारा करा अलग अलग खाते कब्जे व नक्शे मे कराने के बाद ही अप्रार्थीगण भूमि मे आने का अधिकारी हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02, काफी लडाकू एवं खूंखार प्रवृति के हैं तथा काफी रूप्यो पैसो एवं पावर वाले हैं, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने मुझ प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी हैं कि वह अच्छी से अच्छी जमीन रोड साईड पर कब्जा करेगा तथा से समतल करेगा, यदि किसी ने रोका तो उसे वही जमीदोज कर देंगे। यह कि यदि अप्रार्थीगणो ने अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा कर लिय तो मुझ प्रार्थी को काफी भारी हानि होगी जो अर्थ मे सम्भव नही हैं। अप्रार्थी संख्या 02, बिना जमीन का बॅटवारा कराये जमीन से घुसने के अधिकारी नही हैं क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02, **stranger purchager** हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगणों के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करायी जावे कि –

- मूल वाद में निर्णय एवं बंटवारे से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उसके रिश्तेदार, नौकर, एजेन्ट प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में न प्रवेश करे ना करावे तथा प्रार्थी के सुखपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न ना करे, ना करावे इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा आदेश फरमाया जावें।

02. प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब कर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान करने अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते जल्दी सुनवाई कराये जाने का पेश किया। जिसे स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की वकील प्रार्थी ने तर्क दिये कि प्रार्थी की ग्राम पायरी पटवार हल्का काछबली में खाता संख्या 437 के खसरान में शामलाती भूमि होकर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का बिना बंटवाड़ा कराये विपक्षी अच्छी से अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। अप्रार्थीगण की तलबी प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.02.2026 को प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु पुनः दोहराए गए।

03. हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी की बहस पर मनन किया। **प्रथम दृष्टया** चूंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का होने से **अपूर्णनीय क्षति** तथा **सुविधा संतुलन** के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष के है।

उपखण्ड अधिकारी भीम (राजस.)

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ग्राम पायरी, पटवार हल्का काछबली, भू. अभि. नि. क्षेत्र काछबली तहसील भीम, जिला राजसमन्द, में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनायी रखी जावे तथा एक दूसरे के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये, पक्का निर्माण नही करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे, अप्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। फर्द अहकाम पृथक से जारी हो।

निर्णय मेरा द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 23/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner